FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मुकाम रामगढ़ जिला–अलवर

सुखी देवी बनाम मिश्रीलाल

किस्म मुकदमा ..... नं ..... सन् .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मयईनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	28.6.17 पत्रावली का लोक अदालत में निस्तारण नही हो सका/पत्रावली वास्ते दि० 26.9.17 को पेश हो। अध्यक्ष एव उप खण्ड अधिकारी लोक अदालत (रामगढ) अलवर	मिश्रीलाल
	26.9.17 वादी के वकील/वकुलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी अस्वस्थ है। ..... पेश किया नकल दिलाई गई। वास्ते मुलवाद ..... पत्रावली दिनांक 31.10.17 को पेश हो।	
	31/10/17 वादी के वकील/वकुलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी राजकार्य के कारण है। ..... पेश किया नकल दिलाई गई। वास्ते मुलवाद ..... पत्रावली दिनांक 9/1/18 को पेश हो।	
	9-1-18 वादी के वकील/वकुलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी अस्वस्थ है। ..... पेश किया नकल दिलाई गई। वास्ते मुलवाद ..... पत्रावली दिनांक 31/1/18 को पेश हो।	
सुखदेवी / मिश्रीलाल 21/2/15	वादी के वकील/वकुलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी ..... है। ..... पेश किया नकल दिलाई गई। वास्ते ..... पत्रावली दिनांक ..... को पेश हो।	
	11.5.18 आज पत्रावली "लोक अदालत 2018" कोर्ट कोर्ट बहाल में पेश हुई वादी अनुपस्थित वादी उपस्थित मुलवाद अडक दायरी	मिश्रीलाल

28208

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मयईनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	में खारिज किया गया है अतः प्रार्थना 12RTI की अपील खारिज हाजरी में खारिज किया जाता है पत्रावली निजल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो	

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)